



2026:AHC:167159

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 3453 सन् 2023

बंटी कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दुर्वेश कुमार

प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(क्रम संख्या 152)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्वेश कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद मणि त्रिपाठी को सुना।

2. दिनांक 12.05.2023 के आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिनांक 30.06.2023 को निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में संलग्न है, जबकि रिपोर्ट उपलब्ध है, परंतु वह सीलबंद लिफाफे में नहीं है। उक्त रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर द्वारा सत्यापित की गई है। याचिकाकर्ता की आँखों की चिकित्सकीय जाँच हेतु चार सदस्यीय बोर्ड गठित किया गया था। चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट निम्नवत् है :-

“मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण उपरान्त निम्न तथ्य पाये गये हैं :-

1. श्री बंटी कुमार का पूर्व में जनपदीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिनांक 19.10.2022 को परीक्षण हुआ था, जिसमें उसकी दायीं आँख की दृष्टि 6/12 एवं बायीं आँख की दृष्टि 6/18 दर्शायी गयी है। इसके आधार पर उसको अनफिट किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. श्री बंटी कुमार को उपरोक्त बोर्ड में अनफिट होने पर उनके द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मंडल को अपील की गयी और श्री बंटी कुमार का पुनः परीक्षण दिनांक 02.11.2022 को मंडलीय चिकित्सा परिषद द्वारा किया गया, जिसमें उसकी दायीं आँख की दृष्टि 6/12 एवं बायीं आँख की दृष्टि 6/9 पी दर्शायी गयी थी और उसके आधार पर अनफिट किया गया था।

3. आज दिनांक 30.06.2023 को उक्त गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा श्री बंटी कुमार का नेत्र परीक्षण कर उसकी दायीं आँख की दृष्टि 6/6पी एवं बायीं आँख की दृष्टि 6/6 पायी गयी है।

4. आँखों का स्लिट लैम्प से परीक्षण करने पर श्री बंटी कुमार की दोनों आँखों की कॉर्निया में फ्लैप इंटरफेस पाया गया, जो कि लैसिक सर्जरी के पश्चात संभव है।

5. श्री बंटी कुमार से उक्त के संबंध में पूछे जाने पर श्री बंटी कुमार द्वारा बताया गया कि उन्होंने माह दिसम्बर, 2022 के अन्त में दिल्ली के किसी अस्पताल में दोनों आँखों का ऑपरेशन रोशनी बढ़ाने हेतु कराया था।“

अतः चिकित्सा बोर्ड की उपर्युक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह याचिकाकर्ता का स्वीकृत मामला है कि दिनांक 19.10.2022 को जनपदीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गयी चिकित्सकीय जाँच के दौरान याचिकाकर्ता अनफिट था तथा उसकी दायीं आँख की दृष्टि 6/12 और बायीं आँख की दृष्टि 6/9पी पायी गयी थी। अतः याचिकाकर्ता को अनफिट घोषित किया गया था। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसे अनफिट घोषित किए जाने के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। इसके पश्चात अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसका पुनः परीक्षण किया गया, जिसमें भी याचिकाकर्ता को अनफिट पाया गया।

याचिकाकर्ता ने स्वयं चिकित्सा बोर्ड के समक्ष स्वीकार किया है कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षण किए जाने के पश्चात उसने अपनी आँखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए नेत्र शल्य-चिकित्सा करायी थी। तत्पश्चात, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में दिनांक 30.06.2023 को चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गयी चिकित्सकीय जाँच में उसकी दायीं आँख की दृष्टि 6/6पी तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बार्यी आँख की दृष्टि 6/6 पायी गयी। तथापि, चिकित्सा बोर्ड ने यह पाया कि स्लिट लैम्प द्वारा परीक्षण किए जाने पर दोनों आँखों की कॉर्निया में फ्लैप इंटरफेस पाया गया, जो लैसिक सर्जरी के कारण संभव है तथा याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने दिसम्बर, 2022 में लैसिक सर्जरी करायी थी।

4. चिकित्सा रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जनपदीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गयी प्रारंभिक चिकित्सकीय जाँच तथा अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गयी जाँच में कोई त्रुटि नहीं थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को अनफिट पाया गया था। बाद में चिकित्सकीय हस्तक्षेप के कारण हुई सुधारात्मक स्थिति याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के इस दावे में कोई मेरिट नहीं मिलता कि वह अब फिट है और इसलिए उसे नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि संबंधित समय पर उक्त भर्ती के लिए याचिकाकर्ता की प्रारंभिक चिकित्सकीय जाँच में कोई अवैधानिकता नहीं थी।

6. उपर्युक्त दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। वर्तमान याचिका **खारिज** की जाती है। राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

10 अगस्त, 2026

एन.यू.